मित्रों,
नमस्कार |

(4.1) आज मैं आप को बताऊंगा कि मात्र 3 लाइन का एक सरकारी आदेश /क़ानून जो हमने प्रस्ताव किया है -`जनता की आवाज`पारदर्शी-शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) , गरीबी को 4 महीने में ही कैसे कम कर सकता है `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी)(एम्.आर.सी.एम)` क़ानून ड्राफ्ट द्वारा |

इस चर्चा में यदि आपको कुछ समझ नहीं आये , तो विडियो या ऑडियो को रोक कर फिर से सुनें |

मांग किये गये इस `जनता की आवाज़` सरकारी आदेश (जो भारतीय राज पात्र में प्रधानमंत्री डाल सकता है) का **सार** है :-

1. यदि नागरिक चाहे तो अपनी फरियाद या अर्जी 20 रूपये , एक पेज का देकर कलेक्टर की कचहरी जाकर पधानमंत्री के वेबसाइट पर रखवा सकेगा।
2. फिर, यदि नागरिक चाहे तो 3 रुपये का शुल्क या फीस दे कर कोई भी पहले दी गयी अर्जी पर अपनी हाँ/ना पधानमंत्री वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।
3. हाँ/ना पधानमंत्री पर बंधनकारी या जरूरी नहीं है।

मान लीजिए आप के पास एक किराये का मकान है और आप ने उसको किराये पर दिया है, तो फिर किराया किसको जाना चाहिए, आपको या सरकार को ? आप कहेंगे कि आप को जाना चाहिए | ऐसे ही आप को यदि पूछें कि यदि एक मकान है जिसके दस बराबर के मालिक हैं , उसको किराये पर दिया है, तो किराया किसको जाना चाहिए ? आप कहेंगे कि दस मालिकों को बराबर-बराबर किराया जाना चाहिए | इसी तरह यदि कोई बहुत बड़ा प्लाट हो , जिसके 120 करोड़ मालिक हैं ,यानी पूरा देश मालिक है और वो किराये पर दिया है ,तो उसका किराया पूरे देश वासियों को,120 करोड़ लोगों में बराबर-बराबर बटना चाहिए |

ऐसे प्लाट हैं जिसके 120 करोड़ मालिक हैं? जी हाँ , आई.आई. एम.ए कालेज के प्लॉट, जे.एन.यू कालेज के प्लॉट, सभी यू.जी.सी के प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिज, कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के आम-नागरिकों और हमारी सेनाओं को जानी चाहिए किसी और को नहीं। और यह रॉयल्टी व किराया **सीधे** ही मिलना चाहिए किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। एक तिहाई हिस्सा सेना को जाना चाहिए देश की रक्षा के लिए और बाकी दो तिहाई नागरिकों को बराबर-बराबर बटना चाहिए |

यदि ऐसा होता है , तो एक अनुमान से हर एक नागरिक को लगबग 400-500 रुपये महीना मिलेगा जिससे देश की गरीबी कम हो जायेगी | जिस दिन नागरिक प्रधानमंत्री को `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर हस्ताक्षर करने को मजबूर करने में सफल हो जाते हैं, उसी दिन मैं `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम)` ड्राफ्ट को शपथपत्र/एफिडेविट के तौर पर जमा करवा दूँगा।(इसका पूरा ड्राफ्ट www.righttorecall.info/301.h.pdf के चैप्टर 5 में दिया है) इस ड्राफ्ट में एक प्रशासनिक तरीके को बताया गया है जिससे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हर नागरिक को लगभग 500

रूपए (कम या अधिक हो सकता है) प्रति महीने भेज सकेंगे |

आज देश में 50 करोड़ मतदाता दिन का 20 रुपये से कम कमाते हैं | अब बताएं कि कितने करोड़ नागरिक, आप समझते हैं, कि 100 % नैतिक(या सही) लगभग 500 रूपए प्रति महीने नहीं लेना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि 40 करोड़ से ज्यादा नागरिक 100 प्रतिशत नैतिक रूपए चाहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग `एम.आर.सी.एम` के क़ानून-ड्राफ्ट पर अपनी `हाँ` दर्ज कराएँगे पटवारी के दफ्तर जाकर ,उनकी अंगुली के छाप, फोटो , और मतदाता पहचान पात्र द्वारा अपनी जांच करवा कर | फिर ये करोड़ों लोग, ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे | अपने आस-पास के नेता / जज / बाबू को बोलेंगे कि देखो` करोड़ों लोग इस सरकारी -आदेश की मांग कर रहे हैं , आप खुद देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर जाकर जहाँ उनके नाम, पते, अंगुली की छाप हैं | ये सरकारी आदेश प्रधान-मंत्री को बोलो कि हस्ताक्षर करें और भारतीय राज-पत्र में डालें | `यदि ये नेता आदि, ऐसा करते हैं, तो ठीक, नहीं तो उनकी भी पोल खुल जायेगी | इसीलिए इन नेता, जज, आदि का दबाव प्रधानमंत्री पर आएगा और इस तरह `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को मजबूर हो जाते हैं। और जब एक बार `एम.आर.सी.एम` ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाता है तो हम आम नागरिकों में से हर एक नागरिक को हर महीने 500 रूपए के लगभग मिलेगा। और इस प्रकार गरीबी कम होगी।

क्या `नागरिकों और सेना के लिए खदान/खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` ड्राफ्ट पारित करवाने के लिए `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` ड्राफ्ट का भी होना जरूरी है ? यदि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) का समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब `एम.आर.सी.एम` लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि `एम.आर.सी.एम` समर्थक को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है) उनके अपने ही सांसद बिक जाएंगे और `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम आर सी एम)` ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे।

उदाहरण के लिए वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल(यानी भ्रष्ट को बदलने का नागरिकों का अधिकार) कानून लागू करेंगे लेकिन चुन लिए जाने के बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून पास करने से मना कर दिया। **इसलिए मेरे विचार से, नागरिकों और सेना के लिए खदान या खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम आर सी एम) के कार्यकर्ताओं को `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` ड्राफ्ट पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और `जनता की आवाज ` ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए |**

(4.2) अब हम `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`(एम.आर.सी.एम) क़ानून-ड्राफ्ट का संक्षिप्त (छोटे में) जानकारी लेंगे

नागरिकों को अपने खाते बनवाने होंगे अपने अंगुली के छाप और अपना कोई भी पहचान-पत्र देकर | कुछ 2-3% बंगलादेशियों के ,जाली खाते भी बन जाएँगे , जिसके लिए बाद में राष्ट्रीय पहचान पत्र बना सकते हैं , जिसके बनने पर, ये भी निकल जाएँगे |

प्रधानमंत्री एक `राष्ट्रिय जमीन किराया अधिकारी` (एन.एल.आर.ओ) घोषित करेंगे , जिसे भारत के नागरिक बदल सकते हैं | बदलने की प्रक्रिया/तरीका प्रजा अधीन-रिसर्व बैंक गवर्नर या प्रजा अधीन-प्रधान-मंत्री के सामान होगी | राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल यह सुनिश्चित कर देगा कि राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी काफी कम भ्रष्ट होंगे और किराये का पैसा नागरिकों को दिया करेंगे।

राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी उन प्लॉटों का आवंटन करेंगे (बांटेंगे) जिन्हें भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित किया गया है । वे ,राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी ,ऐसा एक कानून द्वारा या राष्ट्रीय जूरी के फैसले के माध्यम से करेंगे (जो राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी को जमीन का बांटने के लिए विशेष तौर से यह काम सौंपेगा)।

राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन.एल.आर.ओ) कुल प्राप्त किराया और देश की सारी खदानों की रोयल्टी और अन्य रोयल्टी (आमदनी) के कुल जोड़ का 34 प्रतिशत हिस्सा रक्षा मंत्रालय को देगा जो सेना को मजबूत बनाने, हथियार उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देने के काम के लिए होगा।

राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी भारत के नागरिकों को हर महीने , कुल जमा हुए किराए और रोयल्टी (आमदनी) का 66 प्रतिशत हिस्सा बांटेगा।

अब हम `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) क़ानून-ड्राफ्ट लागू होने से देश के नागरिकों को फायदा कैसा होगा की बात करते हैं

`सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) और पब्लिक जमीन का किराया`(एम.आर.सी.एम) आने पर जमीन की कीमत घटेगी क्योंकि सार्वजनिक(पब्लिक) भूमि का किराया देना होगा और इसीलिए जमीन की जमाखोरी करना बहुत महंगा पडेगा |

अब यदि जमीन की कीमत गिरती है तो घरों की कीमत भी कम होगी जिससे हम आम लोगों का जीवन सुधरेगा। हम आम लोगों मे से कई लोग, जो झुग्गियों में रहते हैं वे शायद एक बेडरूम-हॉल-रसोई कमरों में जा सकेंगे। और यदि जमीन की कीमत घटती है तो धंधों की संख्या बढ़ेगी (क्योंकि जब जमीन की लागत गिरती है तो कारीगरों के लिए धंधा बढ़ाना आसान हो जाता है) और हम आम लोगों को ज्यादा रोजगार और वेतन मिलेगा। जमीन किराया ओर खदान की रॉयल्टी(आमदनी) के प्रस्तावों से आय बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। इस प्रकार इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की क्रयशक्ति/खरीदने की ताकत बढेगी। खरीदने की ताकत के बढ़ने से मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उधोग-धंधे बढ़ेंगे और इस प्रकार भी हमारी सेना मजबूत होगी।

सार्वजनिक(पब्लिक) भूमि ,जिसको सरकारी जमीन बोला जाता है , और जो 120 करोड़ लोगों की जमीन है ,पर किराया जमा न करने का प्रभाव खुले अन्याय की तरह है ,जिससे अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण और आर्थिक असमानता अन्यायपूर्ण तरीके से बढ़ता है । उदाहरण के लिए, एयरपोर्टों पर विचार कीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर विचार कीजिए । यह हर साल दो करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। इसके जमीन से 6000 करोड़ रूपए हर साल किराया मिल सकता है। अर्थात 3000 रुपये हर यात्री के पीछे , मिल सकते हैं ।

एक उच्च वर्ग के आदमी के बारे में विचार कीजिए जो एक वर्ष में 20 बार दिल्ली एयरपोर्ट का उपयोग करता है। लेकिन 3000 रूपया प्रति उड़ान की दर से जमीन का किराया उससे न वसूलने के कारण उसकी अमीरी हर साल 60,000 रूपए बढ़ जाती है । और भारत के प्रत्येक आम आदमी को हर साल साठ रूपए की हानि होती है क्योंकि आम आदमी को दिल्ली एयरपोर्ट के प्लॉट ,जो कि उसका अपना है, से कोई किराया नहीं मिला । और किराया न वसूलने के अंन्यायपूर्ण तरीके से दौलत/आय का अंतर बढ़ जाता है।

अब बात करेंगे कि कैसे `जनता की आवाज़ ` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) द्वारा `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) आ सकती है

मेरे प्रत्येक क़ानून-ड्राफ्ट में `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` की पहली दो लाईनों को दोहराया गया है। यह दोहराव क्यों है? सांकेतिक मूल्यों को एक ओर छोड़िए, इस दोहराव का राजनैतिक महत्व भी है। यह हो सकता है कि एक `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी ) `(एम आर सी एम) के कार्यकर्ता को (एम आर सी एम) विरोधी बुद्धिजीवियों से लड़ाई लड़नी पड़े। तब (एम आर सी एम) कार्यकर्ता उन्हें वे कानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की चुनौती दे सकता है जो वे पसंद करते हैं और तब उनसे `जनता की आवाज़` की दो लाइन जोड़ने को कह सकता है, उनके दिए गए क़ानून-ड्राफ्ट में । यदि विरोधी पक्ष अंतिम दो लाइनों को जोड़े जाने का विरोध करता है तो उसपर आम-आदमी का विरोधी होने का आरोप लगाया जा सकता है। और यदि वह इन दो लाइनों के जोड़े जाने को स्वीकार करता है तब परिणाम ये होगा कि उसका प्रस्तावित कानून इस जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) को लागू करेगा जिसका उपयोग करके (एम आर सी एम) कानून जनता की हां द्वारा लाया जा सकता है।

दो लाइनों का यह जोड़ बताता है कि `जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के लिए मांग केवल कोई दोहराया गया केवल एक राय देने का साधन ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसा कानून है जिसे किसी भी अन्य कानून में जोड़ा जा सकता है और यदि एक बार यह कानून `जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ,दूसरे कानून के साथ जोड़कर पास हो जाए(विधान सभा में या सरकारी आदेश द्वारा, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर द्वारा) तो इन दोनो धाराओं को सभी जन-हित के कानूनों को लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसका प्रस्ताव मैंने किया है या अन्य कोई व्यक्ति करेगा । `जनता की आवाज` स्वयं पैदा करने वाला प्रस्ताव है अर्थात यदि सभी कानून गलत भी हों, लेकिन एक कानून के साथ `जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) की दो धाराएं भी है तो सभी अच्छे कानूनों को लागू किया जा सकता है। और यह दो लाईनों का जोड़ा जाना ,किसी भी आम-जनता के विरोधी(अलोकतांत्रिक) कानून को बाहर का रास्ता दिखलाने के लिए काफी है । क्योंकि यदि किसी अलोकतांत्रिक कानून में ये दो लाईनें शामिल हो जाती हैं तो इसके जनता-विरोधी धाराएं कुछ ही दिनों या कुछ ही सप्ताह में नागरिकों द्वारा नकार दी जाएंगी।

अंत में , मैं ये फिर से दोहराता हूँ कि यदि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं , तो ये दो कानूनों या सरकारी आदेश के बारे में , जन-जन को बताएं और उन्हें कहें कि अपने आस पास के नेता, जज ,बाबू , मीडिया (समाचार पत्र , टी.वी. चैनल, रेडियो,) आदि से कहें कि प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करके भारतीय राज पत्र में डालें | आप भी ऐसे ऑडियो-विडियो अपनी-अपनी स्थानीय भाषा में बनाएँ और ये सन्देश घर-घर पहुंचाएं |

धन्यवाद |